# राजस्थान सरकार
## कृषि (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.1(3)कृषि–1/एम0सी0/2018 जयपुर, दिनांक : 22/11/2018

## अधिसूचना

भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13015/03/2016–क्रेडिट II दिनांक 25.04.2018 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुदेश एवं योजना क्रियान्वयन के जारी निर्देशों, संशोधित प्रचालन मार्गदर्शिका तथा दिनांक 14.03.2018 व 23.07.2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति फसल बीमा की बैठक मे लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार एतद द्वारा रबी 2018–19 मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करती है।

1. **अधिसूचित फसलें एवं बीमा इकाई:–**

| | | |
|---|---|---|
| प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2018–19 के तहत अधिसूचित फसलें | गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा, धनियां, ईसबगोल, मेथी, रबी मक्का एवं मसूर | बीमा इकाई–तहसील/पटवार मण्डल |

2. **अधिसूचित क्षेत्र:–**

राजस्थान राज्य के 33 जिलों में योजना की क्रियान्विति की जायेगी। जिलेवार फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम दरें, जोखिम स्तर एवं प्रीमियम राशि का विवरण **परिशिष्ट–1**, जिलेवार, फसलवार एवं अधिसूचित बीमा इकाईवार गारण्टी उपज **परिशिष्ट–1 (अ)** पर एवं जिलेवार अधिसूचित फसलों का (तहसील/पटवार मण्डल स्तर) विवरण **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है।

3. **योजना में शामिल किये जाने वाले कृषक:–**

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। रबी 2018–19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत एक कृषक (ऋणी अथवा गैर ऋणी) द्वारा सम्मिलित रूप से अधिकतम् कुल 07 हैक्टयर तक अधिसूचित फसलों का बीमा अनुदानित दर पर करवाया जा सकेगा। निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र का फसल बीमा करवाने पर अतिरिक्त क्षेत्र हेतु पूर्ण प्रीमियम राशि स्वयं कृषक द्वारा वहन की जायेगी। कृषक जिस जिले में रह रहा है उस जिले की परिधि क्षेत्र में बटाई की भूमि ही मान्य होगी। यदि बीमा कम्पनी यह पाती है कि किसी कृषक द्वारा 07 हैक्टयर से अधिक का फसल बीमा अनुदानित दर पर करवाया गया है तो उसे 07 हैक्टयर तक बीमित कर बाकी प्रीमियम जब्त कर लिया जायेगा।

(क) **ऋणी कृषक** (अनिवार्य आधार पर) : अधिसूचित ईकाई क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए जिन कृषकों को किसी वित्तीय संस्थान (सहकारी बैंक एवं सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक आदि) द्वारा **रबी 2018–19** मौसम के लिए फसल ऋण की सीमा

अनुमोदित (स्वीकृत) की गई हो तथा दिनांक 31.12.2018 तक ऋण वितरित किया गया हो। उपरोक्त अन्तिम तिथियों तक ऋण लेने वाले सभी कृषकों का इस योजना के अन्तर्गत बीमा करना बैंको के लिए अनिवार्य होगा। ऋणी कृषकों का प्रीमियम उनके ऋण खातों से वसूल किया जायेगा। संबंधित बैंक/संस्था फसल बीमा प्रीमियम की कटौती करने से पूर्व कृषक से इस आशय का प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करेंगे कि उसने इस भूमि पर बोई गई फसल का बीमा किसी अन्य बैंक/संस्था के माध्यम से नहीं कराया है। कृषक का दोहरा बीमा पाए जाने की स्थिति में संबंधित बीमा कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वे ऐसे कृषकों का बीमा एक ही बैंक के लिए स्वीकार कर नियमानुसार बीमा क्लेम का निर्धारण करेंगे । संबंधित बैंक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि कृषक से दोहरा बीमा नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(ख)**गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक** (स्वेच्छिक आधार पर) : गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा दिनांक 31.12.2018 तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सी.एस.सी. के माध्यम से करा सकेंगे। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भी गैर ऋणी कृषकों का बीमा निम्नानुसार उल्लेखित निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत भी किया जा सकता है–

(i) बीमा हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई/बोई जाने वाली फसल के खसरा नम्बरों की नवीनतम जमाबन्दी की नकल स्वयं प्रमाणित कर (Self Attested) दिए जाने के बाद ही बीमा किया जा सकेगा।

(ii) गैर ऋणी कृषकों द्वारा घोषणा–पत्र देना अनिवार्य रहेगा। इस घोषणा–पत्र में प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्र, प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वयं, परिवार अथवा बंटाई) का अंकित रहेगा ।

(iii) बीमा प्रस्ताव–पत्र में गैर ऋणी कृषक का आधार कमांक, भामाशाह कमांक (उपलब्ध होने पर) बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, IFSC Code का उल्लेख करना अनिवार्य रहेगा । इसके अलावा कृषक को स्वंय के बैंक खाते की पास बुक की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।

(iv) बीमित कृषक द्वारा जिस कृषक से बंटाई पर जमीन ली गयी है, वह संबंधित खातेदार से लिखित में यह शपथ पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें कि उस खातेदार के द्वारा बीमित कृषक को जमीन बंटाई पर दी गयी है। इस शपथ पत्र में संबंधित कृषि भूमि का विवरण शामिल हो ।

(v) जिस कृषक से बंटाई पर जमीन ली गयी है उस कृषक का स्वयं द्वारा सत्यापित आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड (उपलब्ध होने पर) की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

(vi) बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेन्ट/मध्यस्थी का पूर्ण विवरण जैसे:– एजेन्ट का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर, बीमा कवर/पॉलिसी पर अंकित करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों के पालन न होने की स्थिति में संबंधित गैर ऋणी कृषक का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रस्ताव निरस्त माना जाएगा।

बीमा कम्पनी द्वारा अधिकृत एजेन्ट/मध्यस्थी गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषकों से प्रीमियम नकद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन बीमा कम्पनी को प्रीमियम का भुगतान केवल नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से ही किया जाएगा। गैर ऋणी कृषकों को देय मुआवजे का भुगतान बैंकों के माध्यम से संबंधित कृषक के बैंक खाते में सीधा ही हस्तान्तरित किया जाएगा।

4. **रबी 2018–19 मौसम हेतु फसलों का बीमा करवाने हेतु कृषकों को सम्बन्धित बैंक/संस्था को आधार क्रमांक अथवा आधार हेतु नामांकन संख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवानी होगी।**

5. **योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :–**

योजना क्रियान्वयन के दिशा–निर्देशों में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के सभी 33 जिलों को 10 कलस्टर में बांट कर प्रत्येक कलस्टर के लिए अधिसूचित की जाने वाली फसलों की प्रीमियम दरें प्राप्त करने हेतु ऑन लाईन निविदा RTPP ACT के तहत आमंत्रित की गई। प्राप्त निविदाओं की निर्धारित रीति से गणना उपरांत कलस्टरवार न्यूनतम दरें प्रस्तुत करने वाली बीमा कम्पनी (एल–1) का निर्धारण किया गया, जिसके आधार पर योजना क्रियान्वयन करने वाली बीमा कम्पनी का कलस्टरवार (इसके अंतर्गत समाहित जिलों सहित) विवरण निम्नानुसार है:–

| क्रं सं | कलस्टर संख्या | जिला | क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी |
|---|---|---|---|
| | | | एल–1 |
| 1 | 1 | चूरू, भीलवाडा, राजसमन्द, दौसा | एसबीआई जनरल इंश्योरेन्स क. लि. |
| 2 | 2 | बूंदी, डूंगरपुर, जोधपुर | एसबीआई जनरल इंश्योरेन्स क. लि. |
| 3 | 3 | बांरा, धौलपुर, हनुमानगढ | इफ्को–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स क. लि. |
| 4 | 4 | सिरोही, बीकानेर, चित्तौड़गढ | टाटा ए.आई.जी. जनरल इन्श्योरेन्स क. लि. |
| 5 | 5 | सीकर, जैसलमेर, टोंक | एच.डी.एफ.सी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स क. लि. |
| 6 | 6 | बांसवाडा, नागौर, भरतपुर | एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. |
| 7 | 7 | अजमेर, जालोर, सवाईमाधोपुर, कोटा | टाटा ए.आई.जी. जनरल इन्श्योरेन्स क. लि. |
| 8 | 8 | जयपुर, पाली, प्रतापगढ | एच.डी.एफ.सी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स क. लि. |
| 9 | 9 | बाडमेर, करौली, झुंझुनूं, उदयपुर | एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. |
| 10 | 10 | अलवर, झालावाड, श्रीगंगानगर | एसबीआई जनरल इंश्योरेन्स क. लि. |

6. **जोखिम एवं अपवादः–**

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2018–19 मौसम के लिये निर्गत मार्गदर्शिका में वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों, जो निम्नानुसार है, हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा–

(क) कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से बुवाई नही होने की स्थिति (बाधित/निष्फल बुवाई)– प्रमुख फसलों हेतु।

(ख) खडी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा(Drought), लम्बी सूखा अवधि, (Dry Spell), बाढ, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भू–स्खलन, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि,

चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर एवं बवंडर से होने वाले उपज में नुकसान के लिये व्यापक जोखिम बीमा(राज्य सरकार द्वारा सम्पादित फसल कटाई प्रयोगो से प्राप्त उपज आंकडो के आधार पर)

(ग) फसल कटाई उपरांत सूखने के लिये खेत में काटकर फैलाकर छोडी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिये कटाई उपरांत अधिकतम 02 सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिए।

(घ) अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भू–स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जलप्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान।

युद्ध, आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम से होने वाली क्षति को योजना के तहत बीमा कवर से बाहर माना जाएगा।

7. प्रीमियम गणना एवं अनुदानः–

देय प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत तथा उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत ही कृषक द्वारा वहन किया जायेगा। शेष राशि 50–50 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय होगी। जिलेवार फसलवार प्रीमियम विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

8. योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु समय–सीमा का निर्धारणः–

| क्र.सं. | गतिविधि | समय सीमा |
|---|---|---|
| 1 | अनिवार्य रूप से बीमित ऋणी कृषकों के ऋण स्वीकृति/नवीनीकरण की अन्तिम तिथि | 31 दिसम्बर 2018 |
| 2 | अऋणी कृषको से ऑनलाईन बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने की अन्तिम तिथि | 31 दिसम्बर 2018 |
| 3 | ऋणी कृषकों के खातों से प्रीमियम डेबिट करने की अन्तिम तिथि | 31 दिसम्बर 2018 |
| 4 | सीएससी/बैंक/एजेन्ट द्वारा गैर ऋणी कृषको के प्रीमियम को बीमा कम्पनियो में आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा जमा कराने की अन्तिम तिथि | 02 जनवरी 2019 |
| 5 | बैंको द्वारा ऋणी कृषकों का प्रीमियम आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा जमा कराने की अंतिम तिथि | 15 जनवरी 2019 |

(अ) निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली कृषक प्रीमियम राशि को स्वीकार नही किया जाएगा तथा इस कृषक प्रीमियम राशि पर यदि कोई दावा देय रहता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित वित्तीय संस्थाओं की होगी।

(ब) अन्तिम तिथि तक प्रीमियम राशि संबंधित बीमा कम्पनी को पहुंचाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वित्तीय संस्थाओं की होगी। नियत अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार की कृषक प्रीमियम राशि स्वीकार करने का अधिकार बीमा कम्पनी को नहीं होगा।

(स) यदि कोई बैंक निर्धारित प्रीमियम राशि से कम प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी को प्रेषित करता है, तो उक्त बैंक की मुआवजा राशि का भुगतान स्थगित कर दिया जाएगा तथा यदि मुआवजा नहीं बनता है तो उस बैंक के कमीशन राशि में से प्रीमियम राशि का समायोजन किया जाएगा।

(द) यदि किसी बैंक द्वारा पात्र कृषकों का देय प्रीमियम बैंक द्वारा वसूल नहीं किया जाता है अथवा पात्रता से कम वसूला जाता है अथवा फसल एवं क्षेत्र का ब्यौरा गलत उल्लेख किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बीमित कृषक को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार मिलने वाले मुआवजे का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित बैंक का होगा।

9. **बीमा क्लेम गणना:–**

राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर व उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य संख्या में किए गऐ फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उपज आकडों से ही की जायेगी। राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा सूखा, बाढ़ व अकाल घोषित होने के आधार पर दावा देय नही होगा। राजस्व मण्डल फसल उपज का अनुमान लगाने के लिए अधिसूचित इकाई क्षेत्र पटवार सर्किल एवं तहसील में सभी अधिसूचित फसलों के लिए फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या नियोजित करेगा एवं आयोजित करायेगा। पटवार सर्किल पर 4 फसल कटाई प्रयोग एवं तहसील स्तर पर न्यूनतम 16 फसल कटाई प्रयोग सम्पन्न कराए जाएंगे। सभी अधिसूचित फसलों के लिए निर्धारित समय सीमा में अधिसूचित फसल व क्षेत्र (पटवार सर्किल/तहसील) के उपज संबंधी आंकड़े कृषि आयुक्तालय के माध्यम से संबंधित बीमा कम्पनी को उपलब्ध करवाये जायेंगे। औसत उपज के अनुमान एकल श्रृंखला [GCES] के आधार पर तैयार किए जाएंगे।

10. बैंक/वित्तीय संस्थाएं समस्त ऋणी तथा गैर–ऋणी कृषकों का विवरण 15 जनवरी 2019 तक भारत सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल http://pmfby.gov.in पर अपलोड करेगें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संधारित आंकडें स्वीकार्य नहीं होगे।

11. फसलों की क्षति का ऑकलन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाही:– योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल की क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा।

**(क) प्रतिकूल मौसमीय परिस्थतियों के कारण अधिसूचित फसल की बुवाई न कर पाना/बाधित/निष्फल बुवाई की स्थिति:–** कम वर्षा या अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण यदि अधिसूचित ईकाई क्षेत्र के अधिकांश (प्रमुख फसलों हेतु 75 प्रतिशत या अधिक क्षेत्र में) कृषक फसल की प्रारम्भिक अवस्था में अधिसूचित फसल की बुवाई नहीं कर पाते हैं या बाधित/निष्फल बुवाई की स्थिति का सामना करते हैं, ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में बीमित कृषकों को दी जायेगी । कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नानुसार किया जायेगा–

**क्षतिपूर्ति = बीमित राशि X 25%**

बाधित/निष्फल बुवाई की स्थिति में क्षतिपूर्ति का लाभ देय होने के पश्चात कृषक को आगे योजना के अन्तर्गत कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं उसका बीमा कवरेज समाप्त माना जायेगा। उक्त का लाभ योजना की संशोधित प्रचालन मार्गदर्शिका के प्रावधान संख्या (21.3) का निर्धारित अवधि में पालना पर ही सुनिश्चित हो सकेगा। इस घटक के अन्तर्गत फसलवार निम्नानुसार अन्तिम समय सीमा होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2018–19 हेतु अधिसूचित फसलों की बुवाई की अन्तिम समय सीमा

| क्र. सं. | जिला | गेहूँ | जौ | चना | सरसों | तारामीरा | धनिया | मैथी | इसबगोल | मसूर | जीरा | रबी मक्का |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | 31 दिसम्बर | 31 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | — | 30 नवम्बर | — |
| 2 | अलवर | 31 दिसम्बर | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | बांसवाड़ा | 31 दिसम्बर | — | 30 नवम्बर | — | — | — | — | — | — | — | 31 दिसम्बर |
| 4 | बारां | 31 दिसम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | — | — | — | — | — |
| 5 | बाड़मेर | 31 दिसम्बर | — | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | 15 दिसम्बर | — | 31 दिसम्बर | — |
| 6 | भरतपुर | 15 दिसम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | भीलवाड़ा | 31 दिसम्बर | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | — | 30 नवम्बर | — | — |
| 8 | बीकानेर | 31 दिसम्बर | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | — |
| 9 | बूंदी | 31 दिसम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | | — | 15 दिसम्बर | — | — |
| 10 | चित्तौड़गढ़ | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 दिसम्बर | — | — |
| 11 | चूरू | 31 दिसम्बर | 31 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | — |
| 12 | दौसा | 31 दिसम्बर | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | धौलपुर | 15 दिसम्बर | — | — | 30 नवम्बर | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | डुंगरपुर | 15 दिसम्बर | — | 30 नवम्बर | | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | श्रीगंगानगर | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | — | — | — |
| 16 | हनुमानगढ़ | 31 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | — | — | 25 नवम्बर | — |
| 17 | जयपुर | 31 दिसम्बर | 31 दिसम्बर | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | — | — | | — |
| 18 | जैसलमेर | 31 दिसम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | 30 नवम्बर | — | 15 दिसम्बर | — |
| 19 | जालौर | 15 दिसम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | 30 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | — |

| प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2018–19 हेतु अधिसूचित फसलों की बुवाई की अन्तिम समय सीमा | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | जिला | गेंहूँ | जौ | चना | सरसों | तारामीरा | धनिया | मैंथी | इसबगोल | मसूर | जीरा | रबी मक्का |
| 20 | झालावाड | 31 दिसम्बर | — | 31 दिसम्बर | 30 नवम्बर | | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 31 दिसम्बर | — | — |
| 21 | झुन्झुनू | 15 दिसम्बर | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | 30 नवम्बर | — | — | — | — |
| 22 | जोधपुर | 15 दिसम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | | 30 नवम्बर | — |
| 23 | करौली | 15 दिसम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | कोटा | 31 दिसम्बर | — | 31 दिसम्बर | 30 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | — |
| 25 | नागौर | 31 दिसम्बर | 31 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 15 नवम्बर | 05 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | — |
| 26 | पाली | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | — |
| 27 | प्रतापगढ | 31 दिसम्बर | 31 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — |
| 28 | राजसमंद | 31 दिसम्बर | 15 दिसम्बर | | 30 नवम्बर | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | सवाई माधोपुर | 15 दिसम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | 30 नवम्बर | — | — | 30 नवम्बर | — | — |
| 30 | सीकर | 31 दिसम्बर | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — |
| 31 | सिरोही | 15 दिसम्बर | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | — | — | 30 नवम्बर | — |
| 32 | टोंक | 15 दिसम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | — | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — |
| 33 | उदयपुर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | 30 नवम्बर | — | — | — | 30 नवम्बर | — | — | — |

निष्फल/बाधित बुवाई का प्रावधान फसल बीमा हेतु निर्धारित अंतिम तिथी के उपरान्त अधिकतम 15 दिवस में अधिसूचित किया जाना अनिवार्य होगा, इसके उपरान्त यह प्रावधान लागू नहीं होगा। (मार्गदर्शिका के Sec. 21.3 की पालना निर्धारित अवधि में होने पर ही)

(ख) (1) अधिसूचित क्षेत्र आधार पर:– अधिसूचित फसलों की बुवाई से कटाई की समयावधि में खडी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों व अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिम से फसल नष्ट होने की स्थिति:– मौसम के अन्त में बीमा इकाई क्षेत्र (पटवार सर्किल/तहसील) में अधिसूचित फसलों के निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसलों की वास्तविक उपज का आंकलन किया जायेगा। अधिसूचित क्षेत्र में फसल की वास्तविक उपज पूर्व में नियत गारण्टी उपज से कम होने पर अधिसूचित ईकाई में फसल विशेष के उत्पादक सभी बीमित कृषकों को समान रूप

से उपज में कमी का सामना करता हुआ माना जायेगा एवं बीमित कृषकों को निम्न आधार पर क्षतिपूर्ति देय होगीः–

$$\text{क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{उपज में कमी*}}{\text{गारन्टी उपज**}} \text{ X फसल की बीमित राशि}$$

* उपज में कमी = गारण्टी उपज–वास्तविक उपज

** गारण्टी उपज = अधिसूचित क्षेत्र में फसल विशेष की गत सात वर्षों की औसत उपज (राज्य में दो आपदा वर्ष में फसल की औसत उपज को छोडकर) X इण्डेम्निटी स्तर (90%)

**(ख) (2) व्यक्तिगत आधार पर:– फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु रखी गयी, कटी हुई अधिसूचित फसल को चक्रवात व चक्रवाती वर्षा/बेमौसमी वर्षा/ओलावृष्टि से क्षति की स्थिति–** इस स्थिति में फसल की क्षति का आंकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किये जाने का प्रावधान है। प्रभावित कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर **एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. 1800 103 0061, एस.बी.आई जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. 0141–2545227, इफ्को–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. 18001035499, टाटा ए.आई.जी. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. 18002093536, एच.डी.एफ.सी एर्गो जनरल एश्योरेन्स कम्पनी लि. 18002660700** पर तथा लिखित में अधिकतम सात दिवस में अपने बैंक के माध्यम से अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है। बैंक स्तर पर इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए बीमा कम्पनी को प्रकरण अविलम्ब अग्रेषित किया जाना होगा।

फसल कटाई के उपरान्त जोखिम से फसलों की क्षति के आंकलन हेतु बीमा कम्पनी द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी योग्यता व अनुभव के सर्वेयर (Loss Assessor)/कृषि विभाग अथवा उद्यान विभाग अथवा बैंक के योग्य सेवा निवृत कार्मिक की नियुक्ति आपदा की सूचना प्राप्त होने के 72 घण्टे के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी। सर्वेयर (Loss Assessor) द्वारा क्षति का आकलन 10 दिन के अन्दर पूर्ण किया जायेगा तथा सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

सर्वेयर (Loss Assessor) द्वारा क्षति का आंकलन संबंधित कृषक व स्थानीय कृषि अथवा राजस्व विभाग के अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

यदि अधिसूचित इकाई क्षेत्र में फसल के कुल बीमित क्षेत्र के 25% से अधिक की क्षति की सूचना प्राप्त होती है तो अधिसूचित ईकाई में बीमित फसल के उत्पादक सभी बीमित कृषक, जिनके द्वारा बीमा कम्पनी को निर्धारित समयावधि में सूचित किया गया है, को क्षतिपूर्ति देय होगी ऐसी स्थिति में सर्वेयर (Loss Assessor) द्वारा सम्बन्धित कृषकों व स्थानीय कृषि अथवा राजस्व विभाग के अधिकारी की संयुक्त सहमति से सीमित क्षेत्र में सर्वेक्षण के आधार पर फसल की क्षति का प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा।

(ग) स्थानिक आपदाओं (Localized Calamities) से फसल नष्ट होने की स्थिति– ओलावृष्टि, भू–स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जलप्लावन आदि की स्थानिक आपदाओं से अधिसूचित फसल की क्षति की स्थिति में फसल के नुकसान का आंकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अधिकतम क्षतिपूर्ति आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप देय होगी। इन आपदाओं की स्थिति में भी बीमित कृषकों को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर तथा लिखित में सात दिवस में अपने बैंक/बीमा एजेण्ट के माध्यम से अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कम्पनी को सूचित करना आवश्यक है। बैंक/बीमा एजेन्ट स्तर पर इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए बीमा कम्पनी को प्रकरण अविलम्ब अग्रेषित किया जाना होगा।

12. तात्कालिक सहायता **(On account payment due to mid- Season adversity under section 21.2)- अधिसूचित फसल की मध्यावस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों** यथा– बाढ, सूखा, दीर्घकालिक शुष्क अवधि आदि के कारण से अधिसूचित ईकाई में अधिसूचित फसल की संभावित उपज, अधिसूचना में दी गई गारण्टी उपज के 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत तात्कालिक भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा जिसे मौसम के अन्त में अधिसूचित क्षेत्र/फसल पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जायेगा। **उक्त प्रावधान फसल कटाई की सामान्य तिथियो से 15 दिवस पूर्व तक ही प्रभावी रहेगा।** प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों में अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल की सम्भावित उपज फसल की निर्धारित गारन्टी उपज से 50 प्रतिशत कम होने के जोखिम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु संबंधित जिले के जिलाधिकारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला स्तर पर एक संयुक्त टीम, जिसके अन्तर्गत राजस्व, कृषि एवं बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि होगें, का गठन करेंगे। संयुक्त टीम द्वारा जिले के प्रभावित क्षेत्रो का संयुक्त रूप से भ्रमण करते हुए तथा जिले के स्थानीय कृषि एवं मौसम के आंकडों, उपग्रह से प्राप्त चित्रों व जिला स्तर पर अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अधिसूचित फसल के उपज में हुए नुकसान का आंकलन किया जायेगा। बीमा कम्पनी इस रिपोर्ट के आधार पर बीमित क्षेत्र के अधिसूचित फसल के बीमित कृषकों को, कृषक की फसल की बीमित धनराशि के 25 प्रतिशत तक अधिकतम क्षतिपूर्ति का तात्कालिक भुगतान निम्नानुसार सुनिश्चित करेगी:–

$$\text{तात्कालिक क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{गारन्टी उपज} - \text{आंकलित उपज}}{\text{गारन्टी उपज}} \times \text{फसल की बीमित राशि} \times 25\%$$

13. बीमित क्षेत्र व फसलों के वास्तविक बोये गये क्षेत्र में विसंगति – MNCFC द्वारा प्रदान किये गये बुवाई क्षेत्रफल व बीमित क्षेत्रफल के आधार पर किया जावेगा। (प्रचालन मार्गदर्शिका के प्रावधान संख्या 25 के अनुसार)

14. स्थानिक आपदाओं तात्कालिक सहायता हेतु (ओलावृष्टि, भू–स्खलन व जल भराव) व फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों मे खेत में सुखाने हेतु रखी गई कटी हुई अधिसूचित फसल को चक्रवात एवं चक्रवाती वर्षा एवं बैमौसमी वर्षा से क्षति का व्यक्तिगत बीमित कृषक स्तर पर आंकलन करने हेतु संयुक्त कमेटी का गठन निम्नानुसार होगा :–

(अ) ब्लॉक स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी (AAO)

(ब) क्षेत्रीय गिरदावर (ILR)

(स) बीमा कम्पनी द्वारा मनोनीत क्षति मूल्यांकनकर्ता

(द) संबंधित कृषक

15. अधिसूचित मौसम केन्द्रों का विवरणः–

मौसम से संबन्धित आंकडों का संकलन मौसम सेवा प्रदाता कम्पनीयों एनसीएमएल, स्काईमेट एवं इंजन द्वारा स्थापित अधिसूचित स्वचालित मौसम केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा। बीमा अवधि के दौरान अधिसूचित उक्त संचालित मौसम केन्द्र स्थापित करने वाली कम्पनी द्वारा संदर्भ मौसम केन्द्र को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करवाने का समस्त दायित्व उक्त कम्पनी का होगा। फसल बीमा योजनान्तर्गत Raw Data and Refined Data मौसम प्रदाता कम्पनी एनसीएमएल, स्काईमेट, इंजन कम्पनी द्वारा नियमित रूप से वेदर डेटा कृषि विभाग को प्रथम रूप में उपलब्ध करायेंगे। इसके पश्चात कृषि विभाग बीमा कम्पनियों को उक्त मौसमी आंकडे उपलब्ध करवायेगा। मौसम सेवा प्रदाता कम्पनी के अधिसूचित मौसम केन्द्रों से प्राप्त आंकडे ही मान्य होंगे और किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त आंकडे मान्य नही होंगे। मौसम के आंकडों का भुगतान संबंधित बीमा कम्पनियों द्वारा मौसम प्रदाता कम्पनियों को रूपये 3250 + GST प्रतिमाह/प्रति स्वचालित मौसम केन्द्र की दर से (01 जनवरी 2019 से 30 जून 2019) मासिक आधार पर किया जावेगा। अधिसूचित जिले–तहसीलवार एवं गिरदावर सर्किलवार सन्दर्भ मौसम केन्द्रों एवं बैक–अप मौसम केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट–3** पर सलंग्न हैं।

16. बीमा कम्पनी द्वारा देय दावा भुगतान एवं संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा कृषकों के खाते में समायोजन की समय सीमाः–

(क) फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षतिः– भारत सरकार तथा राज्य सरकार के प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने के पश्चात अधिकतम तीन सप्ताह में बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेम की राशि का हस्तांतरण सीधे ही कृषकों के खाते में (डीबीटी) करके लाभान्वित कृषकों की सूची संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था, स्थानीय जिला प्रशासन, स्थानीय कृषि विभाग एवं कृषि आयुक्तालय को प्रेषित की जायेगी।

(ख) फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षतिः– राज्य सरकार द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी पारित आदेश के 01 माह के भीतर कृषकों के खाते में (डीबीटी) करके लाभान्वित कृषकों की सूची उक्त (क) अनुसार संबंधितों को उपलब्ध करानी होगी।

(ग) बुवाई नही कर पाने की स्थिति /बाधित/निष्फल बुवाई की स्थितिः– राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना/आदेश पारित होने की तिथि के 30 दिवस के भीतर (संशोधित प्रचालन मार्गदर्शिका के प्रावधान संख्या 21.3 की पालना होने पर)।

(घ) स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षतिः– संयुक्त समिति जिसमें बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में डी.बी.टी. करके लाभान्वित कृषकों की सूची उक्त(क) अनुसार संबंधितों को उपलब्ध करानी होगी।

(ड) फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षतिः– संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर बीमा क्लेम राशि का हस्तानान्तरण डी.बी.टी. द्वारा कृषकों के खाते में करके लाभान्वितों की सूची संबंधितों को उक्त (क) के अनुसार उपलब्ध करानी होगी।

(च) भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में बीमा क्लेम हेतु दर्शायी गयी समय सीमा में चयनित संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को भुगतान नही करने पर बीमा कम्पनी पर संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

17. **बैंक सर्विस चार्जेसः–**

सभी बैंको को ऋणी एवं अऋणी कृषको का बीमा करने के लिए कृषक द्वारा देय (NET) प्रीमियम राशि का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर (कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का चार प्रतिशत) पर सर्विस चार्जेज (NEFT/RTGS) सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा मौसम समाप्ति के पश्चात प्रदान किया जावेगा।

18. भारत सरकार द्वारा योजना कियान्वयन के जारी दिशा–निर्देश, इनमें विभिन्न कार्यों हेतु अंकित समय–सीमा, कार्य की प्रकृति, ऑनलाईन अपलोड की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व संबंधित वित्तीय संस्था का होगा तथा इस हेतु पृथक से आदेश जारी नही किये जायेंगें। सम्बन्धित वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनी को भारत/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर चाही जाने वाली सूचनाएं सॉफ्ट तथा हार्ड कॉपी में निर्धारित संख्या में उपलब्ध करानी होगी।

19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जारी योजना की संशोधित प्रचालन मार्गदर्शिका में वर्णित दिशा–निर्देश एवं अपेक्स संस्थाओं का निर्णय सर्वमान्य होगा।

20. व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) एवं पैक्स (PACS) के सभी प्रशासकीय अधिकारी अपने बैंक की शाखाओं के अधिकारियों को योजना के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक दिशा–निर्देश उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करायेंगे कि सभी बैंक शाखाओं से बीमा कम्पनी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक बीमा प्रस्ताव व कृषक प्रीमियम राशि उपलब्ध हो जाये। संबंधित वित्तीय संस्था भारत सरकार के नये पोर्टल पर सभी प्रविष्टियां निर्धारित अवधि में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

21. सभी बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा बीमा कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि बैंक स्तर से अधिसूचित फसलों हेतु प्रीमियम की कटौती फसल बीमा की अधिसूचना में उल्लेखित निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार की गयी है एवं बैंक द्वारा योजनान्तर्गत सभी पात्र ऋणी कृषकों को फसल बीमा योजना का कवरेज प्रदान किया गया है।

22. **यूनिफाईड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS)**:– भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार यूनिफाईड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) के पायलट आधार पर कियान्वयन हेतु राज्य के सीकर, राजसमन्द और धौलपुर जिलों का चयन किया गया है। यूनिफाईड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अनिवार्य रूप से किसान द्वारा लिया जाना है। शेष प्रयोजनों में से कम से कम किन्ही दो प्रयोजनों का चयन किसान द्वारा किया जाना है एवं इसका लाभ नही उठाने पर किसान को घोषणा–पत्र द्वारा यह सूचित करना होगा कि उसके द्वारा पूर्व से किसी अन्य बीमा एजेंसी द्वारा यह लाभ लिया जा रहा है। योजना अंतर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिये माना जावेगा।

UPIS योजना में सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है:–

| क्र.सं. | प्रयोजन | बीमित राशि | प्रीमियम राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | भवन (आगजनी तथा संबंधित जोखिम) | 50,000 | रू. 40/– (सेवाकर अतिरिक्त) |
| 2 | व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा | 2,00,000 | रू. 12/–प्रति व्यक्ति |
| 3 | कृषि पंप सेट बीमा (10 हार्स पॉवर तक) | 25,000 | रू. 504/– प्रति व्यक्ति |
| 4 | कृषि ट्रैक्टर बीमा | – | – |
| 5 | विद्यार्थी सुरक्षा बीमा:– | | |
| | (अ) दुर्घटना से मृत्यु | 50,000 | रू. 75/– प्रति विधार्थी (सेवाकर अतिरिक्त) |
| | (ब) पूर्ण दिव्यांगता | 50,000 | |
| | (स) एक आंख एवं कान क्षतिग्रस्त होने पर | 25,000 | |
| | (द) दुर्घटना द्वारा अस्पताल में भर्ती होने पर | 5,000 | |
| 6 | जीवन बीमा | 2,00,000 | रू. 330/–प्रति व्यक्ति |

23. प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत रबी 2018–19 मौसम के लिए जारी अधिसूचना में उपयोग ली गई शब्दावली का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | औसत उपज* | पटवार/तहसील स्तर पर संसूचित फसलों में विगत सात वर्ष रबी 2011–12 से रबी 2017–18 का औसत लिया गया है। (अधिकतम दो आपदा वर्षों की उपज घटाकर) |
| 2. | जोखिम स्तर | दस वर्षो के उपज के आंकड़ों के आधार पर दस वर्षो के सम्भावित क्षतिपूर्ती के आधार पर तय किया जाता है । उक्त प्रक्रियानुसार प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जोखिम स्तर 90 प्रतिशत तय किया गया है। |
| 3. | गारण्टी उपज* | अधिसूचित फसलों में विगत सात वर्षो की औसत उपज को जोखिम स्तर से गुणा कर गारण्टी उपज ज्ञात की जाती है। (अधिकतम दो आपदा वर्षों की उपज घटाकर) |
| 4. | बीमित राशि | जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित किये गये स्केल ऑफ फायनेन्स के आधार पर। |
| 5. | वास्तविक प्रीमियम राशि | वास्तविक बीमांकित दर को बीमित राशि से गुणा कर प्राप्त होती है । |
| 6. | क्षतिपूर्ती की गणना | अधिसूचित फसल के निर्धारित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर वास्तविक उपज यदि गारण्टी उपज से कम रहती है तो क्षतिपूर्ति बीमित कृषक को देय होती है, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाती है :– $\frac{\text{उपज में कमी}}{\text{गारण्टी उपज}}$ X बीमित राशि {उपज में कमी = गारण्टी उपज – वास्तविक उपज} |
| 7. | वाद–विवाद | वाद–विवाद होने पर भारत सरकार द्वारा योजना की संशोधित प्रचालन मार्गदर्शिका मे वर्णित प्रावधान एवं समय–समय पर दिए गए निर्देश राज्य सरकार/बीमा कम्पनी/बैंक/ कृषकों पर मान्य होंगे । |

*वर्ष 2018–19 की निविदा प्रक्रिया की शर्तो के अनुरूप।

24. बैंक/वित्तीय संस्थाएं समस्त ऋणी तथा गैर–ऋणी कृषकों का विवरण 15 जनवरी 2019 तक भारत सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल http://pmfby. gov.in पर अपलोड करेगें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संधारित आंकडें स्वीकार्य नहीं होगे। जिन बैंको द्वारा कृषकों का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जावेगा, ऐसे बैंको द्वारा प्रेषित प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी तथा कृषकों की फसलों का बीमा स्वीकार्य नहीं होगा। जिस पर देय बीमा क्लेम का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित वित्तीय संस्था का होगा।

25. बीमा कम्पनियों को साप्ताहिक फसल बीमा प्रगति से जिला प्रशासन, स्थानीय कृषि विभाग एवं कृषि आयुक्तालय, जयपुर को अवगत कराना होगा।

26. बीमा कम्पनी उनको आवंटित किये गये जिले में योजना की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराने एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु तहसील एवं जिला स्तर पर एक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से नियुक्त कर कार्यालय स्थापित करके कार्यालय का पता, मोबाईल नम्बर सहित सम्पूर्ण विवरण कृषि आयुक्तालय, उपनिदेशक कृषि विस्तार एवं जिला कलक्टर को अवगत करायेंगे।

27. संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान को बीमा से संबंधित सभी आंकडे भारत सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल http://pmfby.gov.in पर 15 जनवरी 2019 तक अपलोड करके सूचना कृषि आयुक्तालय तथा

संबंधित जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक को उपलब्ध करायेंगे जो स्थानीय जिला प्रशासन व कृषि विभाग को अद्यतन सूचना देंगे।

28. जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी द्वारा रबी 2018–19 की योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु एवं पोर्टल संचालन प्रक्रिया तथा सीसीई एप द्वारा फसल कटाई प्रयोग प्रक्रिया सहित योजना की पूर्ण जानकारी हेतु माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2018 में जिला एवं प्रत्येक तहसील स्तर पर न्यूनतम एक कार्यशाला का आयोजन करना होगा। जिसमें जिला/राजस्व/कृषि/आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जिले में कार्यरत समस्त फिल्ड स्तर के कार्मिक/अधिकारियों तथा बैंकर्स को शामिल करना अनिवार्य होगा एवं आयोजन की प्रगति से कृषि आयुक्तालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

29. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कम्पनियों, बैंकर्स, राजस्व विभाग, स्थानीय प्रशासन के दायित्व :–

(क) बीमा कम्पनियों का दायित्व–

(i) सम्बन्धित बीमा कम्पनी जिले की प्रत्येक तहसील में अपना कार्यालय स्थापित कर कम्पनी के कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष नम्बर की सूचना से कृषि आयुक्तालय, जिला कलक्टर, उपनिदेशक कृषि विस्तार इत्यादि को तत्काल सूचित करेगी तथा इस सम्बन्ध में एक प्रेस नोट स्थानीय अखबार में जारी करेगी।

(ii) बीमा कम्पनी द्वारा योजना, पोर्टल संचालन प्रक्रिया तथा सीसीई एप द्वारा फसल कटाई प्रयोग प्रक्रिया की जानकारी हेतु जिले तथा प्रत्येक तहसील स्तर पर न्यूनतम एक कार्यशाला नवम्बर व दिसम्बर 2018 में आयोजित की जाएगी, जिसमें जिलें में पदस्थापित राजस्व, कृषि विभाग के समस्त अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी व समस्त बैंक शाखा प्रबंधक मय अग्रणी जिला प्रबंधक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जनप्रतिनिधीगण एवं प्रगतिशील कृषक इत्यादि की भागीदारी होगी। इस कार्यशाला का समस्त व्यय बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) बीमा कम्पनी को प्रत्येक जिलें में स्थानिक आपदाओं से हुई क्षति का मूल्यांकन करने हेतु क्षतिमूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति कर सम्बन्धित जिले के उपनिदेशक कृषि (विस्तार) को अवगत कराना होगा। साथ ही जिलों से प्राप्त आपदा की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करनी होगी।

(iv) बीमा कम्पनी द्वारा गैर ऋणी कृषकों का बीमा कृषक के चाहने पर करना अनिवार्य होगा।

(v) बीमा कम्पनियों को प्रतिदिन फसल बीमा प्रगति से निर्धारित प्रपत्र में कृषि आयुक्तालय , जयपुर एवं संबंधित जिले के उपनिदेशक कृषि (वि) को अवगत कराना होगा।

(vi) गैर ऋणी कृषक द्वारा एवं बैंक शाखा में पंजीकृत प्रस्तावों को बीमा कम्पनी द्वारा अनुमोदन कर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति को जाँचना होगा।

(vii) बीमा कम्पनी प्रत्येक 10000 कृषकों पर एक काल सेन्टर प्रतिनिधी उपलब्ध करवायेगी। काल सेन्टर सप्ताह के सातों दिवस पर, सुबह 08:00 बजे से सांय 08:00 बजे तक अपनी सेवाएँ उपलब्ध करवायेगा।

(viii) बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेन्ट/मध्यस्थी को अपना पूर्ण विवरण जैसे एजेन्ट का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, इत्यादि स्थानीय कृषि विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

(ix) निर्धारित तिथि से दो माह की अवधि से अधिक विलम्ब की स्थिति में बीमा कम्पनी देय बीमा क्लेम राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान पात्र बीमित कृषकों को करेगी।

(x) बीमा कम्पनी जिले में आयोजित समस्त राजस्व फसल कटाई प्रयोग प्रशिक्षण शिविरों में आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से जिले में आयोजित फसल कटाई प्रयोगों की सूची प्राप्त करेगी एवं समस्त प्राथमिक कार्यकर्ताओं से सम्पर्क स्थापित करेगी। साथ ही सीसीई एप द्वारा फसल कटाई प्रयोग प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेगी।

(xi) जिले में आयोजित डीएलएमसी की बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेकर फसल बीमा प्रकरणों को निरस्तारित करना।

(ख) बैंकर्स का दायित्व–

(i) सभी बैंक कृषकवार विवरण वेब पोर्टल http://pmfby.gov.in पर 15 जनवरी 2019 तक आवश्यक रूप से अपलोड करेगें।

(ii) फसली ऋण हेतु बैंक नाबार्ड/रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार अधिसूचना में वर्णित तिथियों तक स्वीकृत एवं वितरित किये गये फसली ऋण अनिवार्य रूप से फसल बीमा के तहत अधिसूचना में निर्धारित अवधि तक कृषकों के ऋण खाते से प्रीमियम राशि काटकर बीमा कम्पनी को कृषक प्रीमियम आरटीजीएस/नेफ्ट के उपरान्त ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित बीमा कम्पनी को यूटीआर नम्बर, प्रीमियम राशि, बैंक ब्रान्च एवं सम्बन्धित अधिकारी के मोबाईल नम्बर प्रेषित करेंगे।

(iii) सभी बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा बीमा कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि बैंक स्तर से अधिसूचित फसलों हेतु प्रीमियम की कटौती फसल बीमा की अधिसूचना में निर्गत निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार की गयी है एवं बैंक द्वारा योजनान्तर्गत सभी पात्र ऋणी कृषकों को फसल बीमा योजना कवरेज प्रदान किया गया है। इस प्रमाण–पत्र के साथ बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा प्रीमियम की समेकित धनराशि बीमा कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जायेगी।

(iv) बैंको द्वारा कृषक प्रीमियम की राशि आरटीजीएस/नेफ्ट द्वारा भेजी जायेगी, डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा देय नहीं होगी।

(v) संबंधित बैंक यह सुनिश्चित करेगें कि प्रत्येक कृषक जिसका फसल बीमा किया जाना है, उसका आधार क्रमांक/आधार पंजीयन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावें।

(ग) जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) का गठन व दायित्व –

फसल बीमा योजना की जिले में निगरानी हेतु एक जिला स्तरीय निगरानी समिति होगी जिसमें संबंधित जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक, उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, नाबार्ड, केन्द्रिय सहकारी बैंक, रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, उद्यान विभाग के अधिकारी व सम्बन्धित बीमा

कम्पनी के अधिकारी सदस्य तथा जिला कलक्टर अध्यक्ष एवं उपनिदेशक कृषि (वि) जिला परिषद् सदस्य सचिव होंगे। उक्त समिति की त्रैमासिक आधार पर बैठक आयोजित कराई जावे तथा आवश्यकता होने पर भी बैठक आयोजित की जा सकेगी। उक्त समिति निम्न कार्य सम्पादित करेगी–

(i) जिले में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए उक्त समिति जिम्मेदार होगी।

(ii) उक्त समिति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित प्रचार–प्रसार तथा जागरूकता कार्यक्रम सुनिश्चित करेगी।

(iii) उक्त समिति समस्त किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों का फसल बीमा कराया जाना सुनिश्चित करेगी तथा गैर ऋणी कृषकों की फसल बीमा में भागीदारी सुनिश्चित करायेगी।

(iv) फसल मौसम के दौरान उक्त समिति जिले में कृषि स्थिति की सूक्ष्मता से निगरानी करेगी। फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज परिणामों का विश्लेषण करेगी तथा उपज परिणाम कट ऑफ डेट के अनुरूप कृषि आयुक्तालय को उपलब्ध करवायेगी।

(v) उक्त समिति स्थानीय स्तर पर हुई आपदाओं से हुई हानि के आंकलन के जिए जिला स्तरीय संयुक्त समिति को आवश्यक सहायता देगी।

(vi) सहायक/उप/संयुक्त निदेशक कृषि 10 प्रतिशत फसल कटाई प्रयोगों का आवश्यक रूप से निरीक्षण करेंगे। उक्त समिति इसकी निगरानी करेगी।

(vii) उक्त समिति स्वचालित मौसम केन्द्र, फसल कटाई प्रयोग, सेटेलाइट छवि/ड्रोन के माध्यम से आंकडे संधारण हेतु सभी संबंधितों को सुविधा प्रदान करते हुए निगरानी करेगी।

(viii) उक्त समिति बीमा कम्पनी द्वारा प्रेषित लाभान्वितों में से कम से कम 10 प्रतिशत लाभान्वितों का सत्यापन करेगी तथा राज्य सरकार को प्रतिक्रिया प्रेषित करेगी।

**(ix) उक्त समिति कृषकों की जिले से संबंधित फसल बीमा से संबंधित प्रकरणों (पूर्व फसल मौसम सत्रों सहित) की अपने स्तर से निस्तारित कराया जाना सुनिश्चित करायेगी।**

**(घ) राजस्व/आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग व जिला प्रशासन के दायित्व –**

(i) 01 फरवरी 2019 तक समस्त जिले की रबी फसलों की बुवाई की सूचना राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाना।

(ii) 30 अप्रेल 2019 तक जिले की अधिसूचित रबी फसलों की उपज के आंकडे राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवायेगें। राजस्व मण्डल कृषि विभाग को उपज के आंकडे 31 मई 2019 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगा।

(iii) जिला स्तर पर DLMC (जिला स्तरीय निगरानी कमेटी) का गठन करना तथा समय–समय पर बैठक का आयोजन कर फसल बीमा की प्रगति की समीक्षा करना।

(iv) तहसील स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर समय–समय पर बैठकों का आयोजन करना।

(v) जिला प्रशासन द्वारा फसल बीमा प्राप्त करने के लिये आधार नामांकित करवाये जाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाओं, कृषि अथवा बागवानी अथवा सहकारी विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और उन्हें ब्लाक अथवा तहसील में उपलब्ध नजदीकी नामांकन केन्द्रों पर अपने आप को आधार नामांकित करवाने के लिये सलाह दी जाये एवं आधार नामांकन हेतु पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायेगा।

(vi) अधिसूचित फसलों के फसल कटाई प्रयोगों का जिला कलक्टर एवं उनके अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा कम से कम 5 प्रतिशत निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

(vii) जिले में आयोजित करवाये जाने वाले फसल कटाई प्रयोगों की सूची आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग सम्बन्धित बीमा कम्पनी को उपलब्ध करवायेंगे।

(viii) तात्कालिक सहायता (On account payment due to mid-season adversity U.S. 21.2) - अधिसूचित फसल की मध्यावस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों यथा – बाढ, सूखा, दीर्घकालिक शुष्क अवधि आदि के कारण से अधिसूचित ईकाई में अधिसूचित फसल की संभावित उपज, अधिसूचना में दी गई गारण्टी उपज के 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बीमित कृषक को फसल की संभावित क्षतिपूर्ति के 25 प्रतिशत तक अधिकतम क्षतिपूर्ति का तात्कालिक भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा क्षति के आंकलन हेतु गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति के द्वारा सम्भावित उपज आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अधिकतम 15 दिवस में कृषकों को भुगतान किया जावेगा। जिसे मौसम के अन्त में कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

इसके लिये जिला प्रशासन कृषकों, स्थानीय कर्मचारियों, समाचार पत्रों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मौसम केन्द्रों के आंकडों एवं कृत्रिम उपग्रह के चित्र आंकडो के आधार पर जिले में मिडसीजन एडवरसिटी की सूचना जारी कर राज्य सरकार को सूचित करेंगे तथा मिडसीजन एडवरसिटी हेतु सम्भावित उपज का आंकलन करने हेतु संयुक्त समिति का गठन कर क्षति का आंकलन किया जायेगा।

(ix) बुवाई नहीं होने पर अथवा बाधित/निष्फल बुवाई (Failed sowing / Germination claims under section 21.3) की स्थिति में बीमित राशि का 25 प्रतिशत क्लेम राशि का भुगतान बीमित कृषकों को बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा। कम वर्षा या अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण यदि अधिसूचित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या अधिक क्षेत्र में कृषक फसल की प्रारम्भिक अवस्था में अधिसूचित फसल की बुवाई नहीं कर पाते है या बाधित/निष्फल बुवाई का सामना करते है तो ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत की धनराशि क्षतिपूर्ति के रुप में दी जायेगी।

(x) फसल कटने के 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु रखी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, ओलावृष्टि एवं बेमौसमी वर्षा की स्थिति होने पर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा आंकलन करवाकर बीमा क्लेम का भुगतान (Post harvest losses under section 21.4)

(xi) स्थानिक आपदाऐ (Localized risk under section 21.5) जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, जल प्लावन, बादल फटना एवं प्राकृतिक आग की स्थिति होने पर कृषकों की फसलों को हुये नुकसान का व्यक्तिगत आधार पर निर्धारित कमेटी द्वारा आंकलन करके बीमा क्लेम का भुगतान।

(xii) सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा बुवाई के आंकडे पटवार मण्डल क्षेत्र वार उपलब्ध करवाये जायेंगें।

(xiii) गैर ऋणी कृषकों के बीमा करने हेतु जिला कलक्टर द्वारा सम्बन्धित बीमा कम्पनी, राजस्व विभाग, कृषि विभाग व सीएससी से सामन्जस्य स्थापित कर 31 दिसम्बर 2018 तक कैम्पों का आयोजन करवाया जावे।

(xiv) समस्त अधिसूचित फसलों के फसल कटाई प्रयोग स्मार्ट फोन के माध्यम से सीसीई एप के द्वारा करवाया जाना अनिवार्य है।

(ड) सी.एस.सी. (Commen Service Center) के दायित्व–

(i) सी.एस.सी. से सम्पर्क करने वाले सभी गैर ऋणी कृषकों की फसलों का बीमा करना अनिवार्य होगा।

सी एस सी द्वारा गैर ऋणी कृषकों का प्रस्ताव आनलाइन बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराना होगा। जिन कृषकों का प्रस्ताव ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, इनकी प्रीमियम राशि सी एस सी द्वारा बीमा कम्पनी को प्रेषित की जाएगी।

(ii) गैर ऋणी कृषक द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्न दस्तावेजों को ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा –

(अ) आधार कार्ड की प्रति।

(ब) जमीन बंटाई का शपथ पत्र (बंटाईदार होने पर)।

(स) नवीनतम गिरदावरी की नकल।

(द) बैंक खाते के पास बुक की प्रति जिसमें IFSC CODE व खाता संख्या अंकित हो या खाते के रद्द (Cancelled) चेक।

(य) बुवाई प्रमाण पत्र कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जारी।

अधिसूचना सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

22/11

(डॉ. एस.पी.सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, कृषि

क्रमांक : प.1(3)कृषि–1/एम0सी0/2018 जयपुर, दिनांक : 22/11/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।
12. पंजीयक, सहकारी समितियां, सहकार भवन, राजस्थान, जयपुर ।
13. आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर ।
14. समस्त सम्भागीय आयुक्त – – – – – – – –
15. समस्त जिला कलक्टर – – – – – – – – – –
16. निदेशक, उद्यान विभाग, पन्त कृषि भवन, जयपुर ।
17. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सांगानेर, जयपुर ।
18. उप सचिव, राजस्थान किसान आयोग, पन्त कृषि भवन, जयपुर ।
19. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर ।
20. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय को भेजकर लेख है कि इसे राजपत्र में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावे।
21. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ————————
22. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड ————————
23. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद ————————
24. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, बैंक ऑफ बडौदा, बडौदा भवन टोंक रोड, जयपुर।
25. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्किल, जयपुर ।
26. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, टोक रोड़, जयपुर ।
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, प्लेट बी व सी, पाँचवा तल, ब्लाक 1, इस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली।
28. मुख्य प्रबंधक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 98–साँधी उपासना टॉवर, अहिंसा सर्किल के पास, सी–स्कीम, जयपुर।

29. प्रबंधक टाटा ए.आई.जी. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि., 205–208 ग्रीन हाउस अशोक मार्ग जयपुर।
30. प्रबंधक एच.डी.एफ.सी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि., कार्यालय नं 2, तृतीय तल सी–98 सांधी उपासना टावर सुभाष मार्ग सी स्कीम जयपुर।
31. प्रबंधक इफको–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. ए–13 व 37 तृतीय तल हनुमान नगर, राजपुताना अस्पताल के पास सिरसी रोड जयपुर।
32. क्षेत्रीय प्रबंधक एस.बी.आई जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि., 9 द्वारका निवास, बीएमडब्ल्यु शोरूम के सामने, कैलाशपुरी टोंक रोड जयपुर।
33. स्टेट हैड CSC- SPV
34. प्रबंधक, स्काईमेट वेदर सर्विस प्राईवेट लि. 606 6वां तल क्रोप्स आर्केड टॉवर प्लान नम्बर के–12, मालवीय मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
35. क्षेत्रीय प्रबंधक, एनसीएमएल 351 द्वितीय तल, नेमी सागर कॉलोनी, आर फर्निचर हाउस, वैशाली नगर जयपुर
36. प्रबंधक, इन्जन टेक्नो प्रा. लि. जीसी–17, नीलगिरी काम्पलेक्स आवास विकास–1 कल्याणपुर कानपुर, उत्तरप्रदेश।

22/11

संयुक्त शासन सचिव, कृषि